

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-03 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 28.04.2021

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मु0अ0सं0-313/21, धारा-307,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जोगिन्दर सोनकर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 27.04.2021 को वादी रामसेवक सोनकर पुत्र रामसूरत सोनकर नि0 मादे मिश्रजोत थाना को नगर जनपद गोण्डा की पत्नी को आपसी-विवाद के चलते जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जोगिन्दर सोनकर पुत्र रामलौटन सोनकर नि0 मादे मिश्रजोत थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01.मु0अ0सं0-313/21, धारा-307,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 धर्मराज मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.04.2021

जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0— 88/21, धारा— 147, 148, 323, 307,427,324 भादवि से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों— 01. अवनीश पाण्डेय, 02. रामप्रकाश, 03. विपिन कुमार को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 23.03.2021 को एक राय होकर वादी चिंतामणि पाण्डेय के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर कर दिया था। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:—

01. अवनीश पाण्डेय पुत्र रवीन्द्रनाथ पाण्डेय नि0 घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. रामप्रकाश पुत्र शिवराम पाण्डेय नि0 घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. विपिन कुमार पुत्र किशुनपाण्डेय नि0 घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—88/21, धारा—147,148,323,307,427,324 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 बब्बन सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.04.2021

लापरवाही पूर्वक कार चलाकर एक्सीडेंट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-126/21, धारा 279, 304ए, 427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवकुमार नि0 दरियापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजेंद्र कुमार पुत्र शिव कुमार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर शीतलगंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-126/21, धारा 279, 304ए, 427 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व0उ0नि0 सुरेश मणि मिश्र मय टीम।